आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.06.2024	**वाद संख्या–13 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री अनुप श्रीवास्तव, पता–संजय वर्मा, बोलाईडीह, रोड नं0–09, पो0–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता ने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के कार्य प्रणाली पर गंभीर मौखिक और लिखित सवाल उठाया है। शिकायतकर्ता ने अपने विस्तृत आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है। आयोग शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए आवेदन की प्रति आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को हाथों–हाथ उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि वे आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र की प्रति जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को उपलब्ध करा दें। आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अपना लिखित पक्ष आयोग को उपलब्ध कराएँ। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही सुनवाई के दौरान आयोग को यह एहसास हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के सुनवाई की recording की जा रही है। आयोग को या किसी दूसरे पक्ष की जानकारी के बगैर बातचीत को record करना गैर कानूनी है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को यह जानकारी दे रहा है कि सुनवाई का अंश अगर किसी प्रकार से सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया गया और आयोग के संज्ञान में यह बात आई, तो आयोग विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को कर सकता है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.07.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं शिकायतकर्ता को भेजें। दिनांक–22.07.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx184	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 के नियम 14(4) द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित दो सदस्यीय बेंच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण वाद की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
07.08.2024	इस वाद की सुनवाई कतिपय कारण से स्थगित की गई थी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.08.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Dropbox Files\Anju\आदेश....docx229